कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 43/2012

दायर दिनांक:– 15/05/2012
निर्णय दिनांक:– 8/07/2015

1–श्रीमती चम्पी पुत्री श्री धनजी अंगारी जाति मीणा उम्र 48 वर्ष निवासी नवाघरा (भेमई) हाल अपने पति श्री हलिया निवासी भेसरा छोटा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर (राज0)
2–श्रीमती जानी पुत्री श्री धनजी अंगारी जाति मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी नवाघरा (भेमई) हाल अपने पति श्री सुखा निवासी चाडोली जिला डूँगरपुर (राज0)

–वादी–

बनाम

1–श्री जीवा पिता श्री धनजी अंगारी जाति मीणा उम्र 58 वर्ष निवासी नवाघरा (भेमई) तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर (राज0)
2–श्री शकंर पिता श्री धनजी अंगारी जाति मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी नवाघरा (भेमई) तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर (राज0)
3–श्री जिला सहकारी भूमि विकास बैक शाखा सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर(राज0)
4–श्रीमान राजस्थान सरकार भूमिघारी मार्फत तहसीलदार ,साहब तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर ।

–प्रतिवादीगण–

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88,209 रा0टी0एक्ट एवं सपठीत धारा 125, 136 एल0आर0एक्ट बाबत् धोषणा एवं इंद्राज दुरस्ती।</u>

वादीगण व प्रतिवादी नं 01 व 02 आपस में सगें भाई–बहन है। जिनका पेढी नामा निम्न प्रकार है–

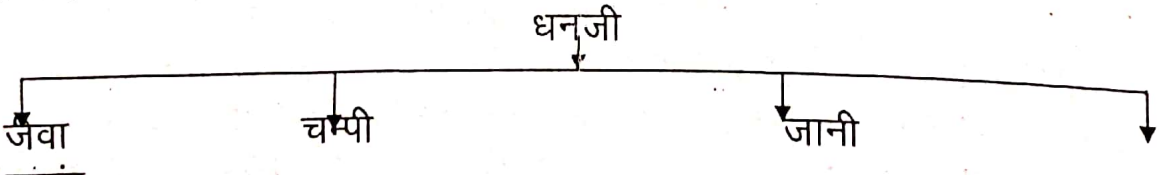

भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान सरकार के खतौनी बन्दौबस्त संवत् 2022 के मौजा गांव भेमई पटवार हल्का भेमई तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर राज0 के क0नं0 114 के नम्बर खाता 111 के कूल खेत 22 कुल रकबा 12 बीघा 14 बीस्वा है जो पैतृक सम्पत्ति है।

जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

खाता सं	खसंरा नं	रकबा	किस्म
111	1167	पॉच बीस्वा	बीड
	1174	नव बीस्वा	सुखी11
	1176	एक बीघा ग्यारह बीस्वा	सुखी11
	1177	एक बीघा सोलह बीस्वा	सुखी111
	1184	तीन बीस्वा	मकान
	1185	दो बीस्वा	सुखी
	1186	सत्रह बीस्वा	सुखी111
	1187	एक बीघा तीन बीस्वा	सुखी11
	1188	चार बीस्वा	सुखी11
	1193	सत्रह बीस्वा	सुखी11
	1194	एक बीस्वा	बीड
	1195	चार बीस्वा	सुखी1
	1197	दस बीस्वा	सुखी11
	1198	सात बीस्वा	बीड
	1199	चौदह बीस्वा	सुखी11
	1212	एक बीघा	रांकड1
	1213	तीन बीस्वा	पालबंदा
	1214	छ:बीस्वा	बीड
	1215	पन्द्रह बीस्वा	राकड1
	1224	दस बीस्वा	राकड1
	1225	आठ बीस्वा	पडत
	1439	नव बीस्वा	सुखी1
योग		कुल किता बाईस कुल रकबा बारह बीघा चौदह बीस्वा	

वादीगण के पिता श्री धनजी पुत्र श्री वाला मीणा के उत्तराधिकारी व वारीसान केवल वादीगण व प्रतिवादी न0 1 व 2 ही है।

वादीगण वाद पत्र की कालम सं 02 में वर्णीत सेटलमेन्टी खाते में खसंरा नं 1439 का जमीन छोडकर वर्तमान जमाबन्दी सवत् 2063–66 के खाता नं 110 नया 89 पुराने के खसंरा नं 1167, 1174, 1176 , 1177, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1193, 1194, 1195, 1197, 1198, 1199, 1212, 1213, 1214, 1215, 1224, व 1225 पर वादीगण के पिता श्री घनजी की मृत्यु के बाद वादी नं 01 का 1/4 भाग पर व प्रतिवादी नं 02 का 1/4 भाग पर एक मात्र स्वामित्व व कब्जा रहा है वर्तमान में वादीगण उक्त जायदाद को भाग पर खेती करवा कर बिना किसी रोक टोक के वादीगण 1/2 हिस्से पर निरन्तर फसल इत्यादि प्राप्त करते आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

करीब दो माह पूर्व वादीगण द्वारा उक्त खेत पर आगे विकास हेतु बैक से ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी के पास जाने पर पटवारी साहब ने बताया कि वादीगण का नाम रेवेन्यू खाते में दर्ज नही है व उक्त रेवेन्यू खाते में उसके भाई प्रतिवादी नं 01 व 02 से पूछताछ की मगर प्रतिवादी नं 01 व 02 द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नही मिला । वादीगण अपने पिता की जमीन पर 1/4 ,1/4 हिस्से पर वादीगण का नाम पृथक–पृथक खाते में रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज न होकर केवल प्रतिवादी नं 01 व 02 का ही नाम दर्ज है जो कि राजस्व विभाग की एक भंयकर भूल है जो गैर कानूनी है तथा वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में क्रमशः 1/4, 1/4 हिस्से की भूमि, इन्द्राज दुरस्त किया जाना आवश्यक है ताकि वादीगण अपने हिस्से में आये खेतों पर ऋण लेकर ओर विकास कर सके व इस प्रकार की घोषणा नहीं किया गया तो प्रतिवादी नं 01 व 02 गलत रेकार्ड के आधार पर वादीगण को बेदखल कर देंगे ओर वादीगण को भारी क्षति उठानी पडेगी ओर वादीगण को अपने हिस्से में आये खाते की जमीन पर खातेदारी हक से वंचित होना पडेगा प्रतिवादी नं 01 ने गलत रेकार्ड का फायदा उठाकर अपनी हिस्से से अधिक जमीन रहन कर ऋण प्राप्त कर लिया है।

वादीगण ने प्रतिवादी नं 01 व 02 को कई बार कहॉ मगर हर बार टालमटोली करते रहे वे इन्द्राज दुरस्त व घोषणा कराने में सहमत नही होने से तथा 15 दिन पूर्व मौके पर झगडा करने से यह वाद वादीगण को प्रस्तुत करना पडा।

अतः वादीगण द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया गया कि,जमाबन्दी सवत् 2063–66 के खाता नं 110 नया 89 पुराने के खसंरा नं 1167,1174,1176,1177,1184,1185,1186,1187,1188,1193,1194,1195,1197,1198,1199,1212,1213,1214,1215,1224 व 1225 कुल किता 21 कुल रकबा बारह बीघा पांच बीस्वा वाके भेमई पटवार हल्का भेमई तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर (राज0) में वादीगण का वाद पत्र में बताये अनुसार हिस्सा होने से वादी नंबर 01 व 02 को पृथक–पृथक 1/4, 1/4 हिस्से पर मुल धनजी पिता वाला मीणा के वारिसदार होने से इन्द्राज दुरस्ती व खातेदार घोषित फरमाया जावें।

प्रतिवादी सं 02 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया कि, वादीगण विवाह पश्चात अपने ससुराल में निवास कर रही अतः अब वादीगण धनजी के परिवार की सदस्य नही है। वादग्रस्त आराजियात धनजी की मृत्यु पर विरासती इन्तकांल से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के धनजी के पुत्र होने से दर्ज हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आदीवासी अनुसुचित जनजाति के होने से वादीगण का नाम विरासत मे कानून के अनुसार दर्ज नहीं हुआ है। वादीगण एक प्रतिवादीगण अनुसुचित जनजाति के सदस्य होने से पिता की मृत्यु पर विरासती हक रहते वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं रहने से वादीगण प्रतिवादीगण के साथ 1/4–1/4 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। न ही वादीगण ने भाग पर कमाने प्रतिवादी संख्या 01 को दी है न ही फसल का हिस्सा प्रतिवादी से

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

प्राप्त किया है एवं न इनका हक एवं हिस्सा है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावें। प्रतिवादी सं 02 द्वारा वादीगण के दावे से सहमति जताई गई।

पत्रावली में तनकी कायम की गई। वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में संवत 2022 मौजा भेमई के खाता सं 111 की भूप्रबन्ध विभाग कि जमाबन्दी (EX-1) संवत् 2063–66 पटवार हल्का भेमई मौजा भेमई के खाता सं 110 की जमाबन्दी (EX-2) आदि प्रस्तुत किए। वादीगण द्वारा गवाह में श्रीमती चम्पी पुत्री धनजी अंगारी निवासी नवाधरा (भेमई) हाल पति श्री हालिया निवासी भैसंरा छोटा का शपथ–पत्र(PW-1)श्रीमती जानी पुत्री श्री धनजी अंगारी निवासी नवाघरा (भेमई) हाल पति श्री सुखा निवासी चाडोली का शपथ–पत्र(PW-2) आदि प्रस्तुत किए गए। साक्ष्य वादी की जिरह पूर्ण की गई। साक्ष्य प्रदर्श करवाएँ गए।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए। गवाह के रूप में जीवा पिता धनजी अंगारी का शपथ–पत्र(DW1),कमजी पिता धनजी अंगारी का शपथ–पत्र(DW2) मोहन पिता जैसल गुदा डामोर मीणा का शपथ–पत्र(DW3) आदि प्रस्तुत किए। गवाह प्रतिवादीगण से जिरह पूर्ण की गई। बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रतिवादी द्वारा राजस्व बोर्ड के प्रकरण श्री बाई विरूद्ध श्रीमती पारीबाई एवं अन्य (अपील सं 37/धौलपुर) में निर्णय दिनांक 07 नवम्बर ,2001 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की । पत्रावली की अवलोकन किया गया। निर्णय निम्नानुसार है–

तनकी सं 01:– आया वादीगण के पिता धनजी वाला के वारिसान है तथा प्रतिवादी सं 1,2 भी धनजी के वारिस है तथा वादपत्र की कलम संख्या 02 में अंकित आराजियात कुल बाईस में वादी संख्या 1 का 1/4 ,वादी सं 2 का 1/4, एवं प्रतिवादी सं 01 का 1/4, हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 2 का 1/4 हिस्सा जो कुल आराजियात में 1/2 हिस्सा है:–

जिम्में वादीगण

निर्णय:– पत्रावली में वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2022 खाता सं 11 मौजा भेमई में खातेदार के रूप में धनजी वल्द वाला मीणा का नाम दर्ज है।

संवत् 2063–66 तक की जमाबन्दी वर्तमान खाता सं 110 में कुल किता 21 कुल रकबा 12 बीघा 05 बीस्वा जीवा व शंकर पिता धनजी के नाम दर्ज हे। वादीगण के अनुसार उनका वादग्रस्त आराजी में जीवा की पुत्रियॉ होने के कारण 1/4 –1/4 हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को अपनी बहने होना स्वीकार किया है, परन्तु अनूसूचित जनजाति के होने से अपनी बहनों का पैतृक सम्पत्ति में विवाह पश्चात कोई अधिकार न होने का दावा किया है। वादीगण के अनुसार वादीगण उक्त जायदाद को भाग पर खेती करवा बिना रोकटोक अपने 1/2 हिस्से पर फसल इत्यादि प्राप्त कर रहे है परन्तु उनके द्वारा इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि वर्तमान में प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण द्वारा कब्जे का कोई साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत नहीं किया गया है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर के अनुसार भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम ,अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है, अतः तनकी सं 01 का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण किया जाता है।

तनकी सं02 :– आया वादीगण के हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं 01 व 02 के नाम बिना किसी अधिकार के दर्ज कर दी उसमें वादीगण भी सहखातेदार बनने के अधिकारी है:–

जिम्में वादीगण

वादीगण द्वारा प्रस्तुत भूप्रबंध की जमाबन्दी संवत् 2022 खाता सं 111 में वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के पिता के नाम दर्ज है तथा वर्तमान में विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है। वादी सं 01 ने अपने बयान में कहा कि उसकी शादी को 40 वर्ष हुए है तब से वह भैसरा छोटा अपने पति के घर रह रही है । पिताजी की मृत्यु का स्पष्ट समय वादी सं 01 द्वारा नहीं बताया गया है जबकि वादी सं 02 के अनुसार पिताजी की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हुई थी। वादी सं 01 द्वारा अपने बयान में यह भी स्वीकार किया गया है कि वे जाति से भील मीणा है अर्थात अनुसूचित जनजाति से है प्रतिवादी सं 1 द्वारा भी अपने जवाब में यही दावा किया गया है कि भील मीणा समुदाय के होने से वादीगण का नाम विरासत से दर्ज नहीं हुआ है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर से भी उक्त तथ्य की पूष्टि होती है कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होता है अतः तनकी सं 01 में की गई व्याख्या के अनुसार ही तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी किया जाता है।

तनकी सं 03:– आया वादीगण धनजी की पुत्रियॉ हे जिनकी शादियॉ हो चुकी है तथा धनजी के पुत्र प्रतिवादी सं 01 व 02 है जो मात्र वारिसान पुत्र प्रतिवादी सं 01 व 02 है जो मात्र वारिस है तथा जाति से अनुसूचित जनजाति के है जिसमें पुत्र के होते हुए पुत्री का कोई अधिकारी नहीं है जिसमें वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। :–

जिम्में प्रतिवादीगण

निर्णयः– इस तनकी में प्रस्तुत तथ्यों की व्याख्या तनकी सं 01 व 02 में की जा चुकी है. अतः तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार तनकी सं 01,02, व 03 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में होने से वाद वादीगण अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरें ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो। नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner